न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 215/2016 **दायरा दिनांक : 02.05.2016**

उनवान

1— मानसिंह पुत्र श्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— कल्याण पुत्र श्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— भोजराज पुत्र श्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— शीला पत्नी गोपाल, जाति गूर्जर, निवासी नयागांव, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6— काली बेवा श्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7— उधमसिंह पुत्र श्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— शंकरलाल पुत्र श्री छीतर, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— मेघराज पुत्र श्री छीतर, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— हंसराज पुत्र श्री छीतर, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— रामसिंह पुत्र श्री छीतर, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— सावित्री पुत्री छीतर, पत्नी बृजमोहन, जाति गूर्जर, निवासी खेडला, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6— कस्तूरी बेवा श्री छीतर, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7— बलराम पुत्र श्री छीतर, नाबालिग, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां जर्ये वली संरक्षक माता कस्तूरी बेवा श्री छीतर, जाति गूर्जर, निवासी मूडक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

8— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री मदनगोपाल केवड़ा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या — 40/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मूडक्या, तहसील छबड़ा में आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 377 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 5/402 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 323 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2/2 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 8 बिस्वा कुल 16 किता की 29 बीघा 3 बिस्वा आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । छीतर लाल का फोती इंतकाल वादीगण के पक्ष में खोला जा चुका है । वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार खाता विभाजन को कहा परन्तु प्रतिवादीगण टालते रहते हैं । अतः वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.03.2016 को दावा वादीगण स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम निरस्त किया है । निर्णय विधि विरूद्ध है । दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य और कब्जे की सर्वथा अनदेखी की है । आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है । वादीगण का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की । साक्ष्य की विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया है । आराजी पूर्व में कालू के खाते की थी जिसका एक मात्र वारिस उनका दत्तक पुत्र कजोड़ था जो प्रतिवादीगण का पिता है । वादीगण का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं

है । वादीगण कजोड़ के भाई छीतर लाल के वारिस हैं । दत्तक जाने के बाद से कजोड़ और छीतरलाल का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । अपीलांट के पिता दिनांक 10.05.67 को जातिगत प्रथा और रीति – रिवाज के अनुसार गोद गये थे । गोद जाने के बाद प्राकृतिक पिता से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । वादीगण कालू के पुत्र कजोड़ से कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे । वादीगण ने छीतरलाल से अन्य आराजी प्राप्त की है । कालू लाल की आराजी में वादीगण का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण का काउंटर क्लेम था । काउंटर क्लेम को गलत रूप से अस्वीकार किया है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/2 गलत दर्ज किया गया है । आराजी कजोड़ के पुत्र होने के कारण अपीलांटगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं । रेस्पोडेंटगण का इसमें कोई अधिकार निहित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात की साक्ष्य के आधार पर विवेचना नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट कजोड़ का गोद जाना बताते हैं परन्तु वो इसको सिद्ध नहीं कर पाये हैं । इस बाबत प्रतिवादीगण ने दत्तक की घोषणा और

इंतकाल निरस्त करने का सिविल न्यायालय में दावा पेश किया था जिसे सिविल न्यायालय ने निरस्त किया है । उन्हीं तथ्यों के आधार पर काउंटर क्लेम पेश किया है जो मेंटेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री जारी की है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण की ओर से नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 एक्जीविट 1 पेश की गई है जिसमें आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । इसी प्रकार नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 2 व पी 3 के अनुसार सम्वत 2066–69 में भी वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल डिक्री एक्जीविट पी 4, नकल निर्णय अपर जिला न्यायाधीश एक्जीविट पी 5, नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 एक्जीविट पी 6, नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 एक्जीविट पी 7, नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 एक्जीविट पी 8 पेश की है । पत्रावली पर एक्जीविट डी 1 के रूप में नकल नामान्तरकरण संख्या 374, एक्जीविट डी 2 के रूप में, नकल नामान्तरकरण संख्या 358 व तहरीर की प्रति एक्जीविट डी 3 पेश की है । वादी की ओर से बयान मेघराज पी डब्ल्यू 1 कराये गये हैं और प्रतिवादी की ओर से बयान बंशीलाल व उधमसिंह कराये गये हैं ।

अपीलांट के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की जा रही है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम गलत दर्ज किया गया है क्योंकि कजोड़ को मांगी लाल ने गोद लिया था । अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने एक्जीविट डी 3 तहरीर पेश की है परन्तु पत्रावली पर जो नकल निर्णय प्रति जिला न्यायाधीश, छबडा एक्जीविट 5 और नकल डिक्री एक्जीविट 4 सलंग्न है उसके अनुसार प्रतिवादी अपीलांटगण की अपील अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.08.2012 को खारिज की

गई है । इस अपील में तनकी नम्बर 1 ''आया कि दिनांक 10.05.67 को मांगी लाल ने कजोड़ पुत्र मथुरा को ग्राम मूडक्या के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष गोद लिया था, गोद की रस्म पूरी की थी, गवाहान के समक्ष गोदनामा लिखा था । इस तनकी को विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने वादी अपीलांटगण के खिलाफ तय किया है । इस निर्णय को किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट के द्वारा नहीं पेश किया गया है । तद्नुसार कजोड को मांगी लाल का दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता ।

अपीलांटगण ने दूसरी आपत्ति अपने जवाबदावे में यह की है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है । वादीगण का कब्जा नहीं है । आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है और संयुक्त खाते में दर्ज आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के विपरीत नहीं होता है वरन उसकी ओर से माना जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात की विवेचना एक साथ की है । अतः प्रत्येक तनकी की विवेचना निम्नानुसार की जाती है :–

तनकी नम्बर 1 – आया वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजियात वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी का भी 1/2 हिस्सा है ? **..... वादी**

तनकी नम्बर 2– आया वादी अपने हिस्से के अनुरूप बंटवारा कराने एवं अलग खातेदारी दर्ज करवाने व लगान का निर्धारण कराने के अधिकारी हैं ? **..... वादी**

तनकी नम्बर 3 – आया प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है ? **..... प्रतिवादी**

प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर 1 – पत्रावली पर सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 एक्जीविट 1, नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 एक्जीविट 2, नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 एक्जीविट 3 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है और प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । इस प्रकार यह तनकी पेश किये गये रेकार्ड के अनुसार वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 2 – पक्षकारान वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं और सहखातेदार अपनी आराजी को पृथक से दर्ज कराने के अधिकारी होते हैं । तद्नुसार भी यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 3 – वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है । प्रतिवादीगण ने गोदनामे और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने की प्रार्थना की है परन्तु न्यायालय अपर जिलाधीश छबडा एक्जीविट 5 के अनुसार कजोड को मांगीलाल का गोद पुत्र नहीं माना जा सकता है और संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के प्रतिकूल नहीं होता है । तद्नुसार प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार होने

योग्य नहीं है । इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है ।

तनकी नम्बर 1 और 2 वादीगण के पक्ष में तय पायी जाती है । तनकी नम्बर 3 प्रतिवादी के खिलाफ तय पायी जाती है । तद्नुसार दावा वादी डिक्री होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा